

राज्य शिक्षा केन्द्र

विधि
शाखा.....

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक ०१...

विषय डब्ल्यू.पी. 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव

नस्ती क्र. वि.प्र. 2016/26

विषय: न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 484 / 2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव विरुद्ध म.प्र. शासन (संलग्न) का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला भिण्ड से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण से संबंधित है।

JDCA

हस्ताक्षर श्री कमलेश सिंह कौरव

(देवप्रिया प्रसाद)

संयुक्त संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, मोपाल

S. Dahim
09/03

(सीला वाहिना)
अपर निरीक्षण संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
वी.पी. गौड़
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

10/03

क/राजि.प्र./अत.सं.वि.प्र./म.प्र./2016/1934-35 भा.प्र.वि.प्र. 14 3/16

राज्य शिक्षा केन्द्र

विधि
शाखा.....

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक ०२...

विषय W.P. 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव

नस्ती क्र. वि.प्र. 2016/26

पुनः पृष्ठ N/1 पर अनुमोदन अनुमोदित 01.02.2016 आदेश जारी किया गया।
गया उतिरक्षण आदेश हेतु नस्ती विवर विभाग को दाखिल करना चाहिये।

JD(P) on tour

AMD (SD)

आयुक्त

विधि विभाग

S. Dahim

14/03

(सीला वाहिना)
अपर निरीक्षण संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
वी.पी. गौड़
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

1556/Com/2016
15-03-16

1556/Com/2016
15-03-16

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR**

Process Id: 3345/2016

1145
18/2/2016
WP/484/2016

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

To,

The State of Madhya Pradesh Thr,
Principal Secretary, Department of
School Education, Vallabh Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

FOR ADMISSION
Fixed for 08-03-2016

DA- 04

Respondent No. 1

RAD

Gwalior 01-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo
Warranto) No. WP/ 484/ 2016


Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Kamlesh Singh Kaurav** has filed a petition
under Article 226/227 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is
registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/484/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged
Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and
decided ex parte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

SECTION OFFICER
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

OK

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

WRIT PETITION NO. 484 /2016 (PIL)

PETITIONER: Kamlesh Singh Kaurav

Vs.

RESPONDENTS: State of Madhya Pradesh & Ors.

LIST OF EVENTS

30.3.2009 : As the Govt. Middle School is running in the building of Girls Primary School, the Collector allots land for the building of Middle School.

6.11.2012 : The State Government releases the 1st installment of funds for the building.

Till date : Despite repeated reminders of the Gram panchayat and of the petitioner who is a ex-Sarpanch, the site has not been cleared by the State authorities resultingly the construction work has not been started till date.

Date: 19 /01/2016

Humble petitioner,
Through counsel,
(Vivek Jain)
Advocate

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

WRIT PETITION NO. 484 /2016 (PIL)

PETITIONER: Kamlesh Singh Kaurav

Vs.

RESPONDENTS: State of Madhya Pradesh & Ors.

INDEX

S.No.	Description	Annexure No.	Page No.
1.	Memo of petition		01 to 06
2.	Affidavit thereto		07 to 08
3.	List of documents		09
4.	Copy of certificate	P-1	10
5.	Copy of order dated 30.3.2009	P-2	11-12
6.	Copy of bank statement	P-3	13
7.	Copy of representation	P-4	14
8.	Copy of representation	P-5	15
9.	Copy of representation	P-6	16
10.	Copy of representation	P-7	17
11.	Copy of complaint	P-8	18-19
12.	Copy of forwarding letter	P-9	20
13.	Vakalatnama		21

Date: 19 /01/2016

Humble petitioner
Through counsel,
(Vivek Jain)
Advocate

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR**

WRIT PETITION NO. **484** /2016 (FIL)

PETITIONER : Kamlesh Singh Kaurav S/o Shri Nannab
Singh Kaurav, Age-48 years, occupation-
Agriculture, R/o Village Chiroi,
Panchayat Dandraua, Tehsil Mehgaon,
Distt. Bhind (MP)

Vs.

RESPONDENT:

1. State of Madhya Pradesh, through the
Principal Secretary, Department of
School Education, Vallabh Bhawan,
Bhopal (MP)
2. The Collector, Distt. Bhind (MP)
3. The Distt. Project Coordinator, Sarva
Shiksha Abhiyan, Distt. Bhind (MP)
4. The District Education Officer, Distt.
Bhind (MP)
5. The Gram Panchayat-Dandraua, Tehsil
Mehgaon, Distt. Bhind (MP); through its
Sarpanch

Writ petition under Articles 226/227 of the
Constitution of India for issuance of a writ
of mandamus and/or certiorari and/or any
other suitable writ, order or direction in the
nature of writ for doing justice in the matter.

The humble petitioner most respectfully submits this petition
as under :-

(2)

**(1) PARTICULARS OF THE ORDER AGAINST WHICH THIS
PETITION IS BEING PREFERRED :**

Date of Order : Nil

Passed in : Nil

Passed by : Nil

Subject matter :

The petitioner is not aggrieved by any particular order,
but is aggrieved by the illegal and arbitrary inaction of the
authorities of the State Government who are not taking any
steps for construction of Middle School Building in the village
despite the said building having been allotted land in 2009 and
even the first installment of Rs.3.09 lacs released by the
Government in 2012.

All the children of the village are suffering due to non-
availability of building for the school just because the site
clearance has not been done by the administration, resulting
in which the construction work has not been started by the
Gram Panchayat.

(2) THE ANTECEDENTS OF THE PETITIONER:

That, the petitioner is a agriculturist and social worker of
the village and has remained interested in welfare of the village.
He has been a Sarpanch of the Panchayat from 2010-Jan. 2015.

The petitioner is interested in ensuring that the Middle
School building gets constructed so that the children of the
village get access to better quality of education.

The petitioner is filing this petition at his own will and
not at the instance of any other person. The litigation cost
including counsel fees and travelling expences, etc are being
borne by the petitioner himself.

(3) FACTS IN BRIEF, CONSTITUTING THE CAUSE:

Brief facts giving rise to this petition are as under :

- 3.1 That, the petitioner is a socially active resident of village Chirai under Gram Panchayat Dandrawa. The petitioner has remained Sarpanch of the village upto December 2014.
- 3.2 That, there are two separate Govt. Primary Schools in the village for boys and girls. Initially there was no middle school in the village. A few years ago, a middle school was sanctioned and opened in the village by the Government.
- 3.3 That, there was no building for the Middle School, hence, for the time being, it started to be run in the building of Girls Primary School on temporary basis. A copy of the certificate regarding running of the Middle School in the building of the Girls Primary School is annexed herewith and marked as Annexure P/1.
- 3.4 That, a separate building was very much required because the running of Co-educational Middle School in the building of Girls Primary School is damaging both the institutions. The Girls Primary School cannot run properly and the Co-ed Middle School also cannot properly function because the building and other infrastructure, equipments, etc. of the Girls Primary School is not sufficient for the purpose of the proper running of Middle School.
- 3.5 That, land was allotted for construction of a separate Middle School building by the Collector in case No.09/08-09/A-59 vide order dated 30.3.2009. A copy of the order is annexed herewith and marked as Annexure P/2. An area of 0.10 hectare in survey No.182 was allotted.
- 3.6 That, thereafter the State also released funds for the school. The first installment of Rs.3.09 lacs was deposited in the account of the Gram Panchayat (construction agency) on 6.11.2012. A copy of the bank statement of the Gram panchayat is annexed herewith and marked as Annexure P/3.
- 3.7 That, as soon as the funds were made available by the State, some miscreants of the village who did not want the school to be constructed, stored their dung-cakes and other waste on

- the allotted land. As a result, the construction work could not start as the site needed clearance.
- 3.8 That, at the relevant time, the petitioner was the Sarpanch. He brought the matter to the notice of the authorities of the administration repeatedly. Copies of the representations dated 2.4.2013 and 18.6.2013 are annexed herewith and marked as Annexure P/4 & P/5.
- 3.9 That, no action was taken by the authorities for site clearance, resultingly, the construction work could not commence. The petitioner demitted office in December 2014.
- 3.10 That, even after demitting office, the petitioner has been taking up the matter with the authorities in his capacity as a informed citizen of the village. He has submitted umpteen number of representations for site clearance so that the construction work can commence. Copies of the representations submitted to Public Grievances Cell dated 19.12.2015 and 5.1.2016 are annexed herewith and marked as Annexure P/6 & P/7.
- 3.11 That, the petitioner also appeared before the Collector on 22.12.2015 and submitted complaint in "Jan Sunwai". A copy of the complaint is annexed herewith and marked as Annexure P/8. However, the Collector simply rolled the ball and the complaint was forwarded to the respondent No.3, however, no action has been taken by any of the authorities till date. A copy of letter forwarding the complaint is annexed herewith and marked as Annexure P/9.
- 3.12 That, education upto 14 years of age is a fundamental right under Article 21-A of the Constitution and the State authorities in this case are acting in a matter to defeat the said fundamental right of the children of the village.
- 3.13 That, simply because of utter apathy and negligence of the administrative authorities, the school building has not been constructed despite receiving the budget about three years ago and the village is being deprived of a important facility.

3.14 That, the administration has been informed to clear the site but just to appease the persons who do not want the school to be constructed, the authorities are avoiding to clear the site and facilitate construction of school building.

(4) SOURCE OF INFORMATION:

The entire matter is in the personal knowledge of the petitioner being the resident of the village and ex-Sarpanch.

(5) NATURE AND EXTENT OF INJURY CAUSED/APPREHENDED:

By the construction of Middle School building having not been made by the authorities despite its sanction and release of funds, the children of the village are suffering because they cannot get access to good quality education.

6. ISSUE RAISED WAS NEITHER DEALT WITH NOR DECIDED :

The petitioner declares that the issue raised by him in this petition was earlier not raised by them before any other court or authority/tribunal. He has not filed any PIL in the past, hence the question of awarding/imposing the costs, appropriate or otherwise, does not arise.

7. ANY REPRESENTATION, ETC. MADE:

The representations have duly been made vide annexure P/4, P/5, P/6, P/7 and P/8, the details of which are narrated in factual paras.

8. GROUND:

That, in view of detailed legal submissions made in the factual paras and in para-1, no separate narration of grounds is necessary to avoid repetition.

9. DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED :

The petitioners have no other statutory alternative remedy.

10. DELAY, IF ANY, IN FILING OF THE PETITION :

There is no delay in filing the present writ petition.

11. RELIEF(S) PRAYED FOR :

The petitioner, therefore, most humbly prays that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow this petition thereby issuing a writ of mandamus against the respondents in public interest thereby granting the following reliefs to the petitioners in general public interest:-

- i) the respondents No. 1 to 4 be directed to ensure that the Middle School building is constructed within a stipulated time limit by clearance of site by the administration,
- ii) any other relief deemed fit in the facts and circumstances of the case doing justice in the matter including costs be also awarded.


12. INTERIM ORDER, IF PRAYED :

The petitioner further prays that pending final decision of this petition, the respondents No. 1 to 5 be directed to take all steps required for construction of already sanctioned school building.

13. CAVEAT:

That, no notice of lodging of any caveat by the opposite party has been received by the petitioners so far.

Date : 19/10/2016

Humble Petitioners
through counsel,

(Vivek Jain)
Advocate

⑦

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR**

WRIT PETITION NO. /2016 (FEL)

PETITIONER : Kamlesh Singh Kaurav

Vs.

RESPONDENTS : State of Madhya Pradesh & Ors.

AFFIDAVIT

Name Kamlesh Singh Kaurav
Father's Name Shri Nawab Singh Kaurav
Age 48 Years,
Occupation Agriculture,
Resident of Village Chirol, Panchayat Dandraua, Tehsil
Mehgaon, Distt. Bhind (MP).

I, the abovenamed deponent do hereby state on oath and affirm
as under:-

1. That, I am the petitioner and this petition is being filed being aggrieved by the inaction of the State authorities in clearing the site for construction of school building of the village.
2. That, this petition under article 226 of the Constitution of India is being filed by way of public interest litigation and I have no personal interest in the matter, apart from being resident of the village. This petition is being filed in larger public interest at large for the benefit of village students. I am filing this petition on my own will and not at the instance of someone else.
3. That, the petition has been got prepared by me under my instructions, contents of which have been read over by me which I have understood.
4. That, the submissions made in para 1,2,3 and 4 are formal in nature and true and correct to the best of my personal knowledge.
5. That, contents of para 3 are the factual part of the petition and are true and correct to the best of my personal knowledge.
6. That, the legal submissions made in the petition are based on legal advice sought by me from my counsel and believed to be true.

कमलेश सिंह कौरव

(2)

⑧

5. That, the documents annexed to the petition are true copies of the originals.

कमलेश सिंह कौरव
DEPONENT

VERIFICATION/AFFIRMATION :

I, the abovenamed deponent, do verify and affirm on oath that the contents of this affidavit from para 1 to 5 are true and correct to the best of my personal knowledge and no part of it is false, nor anything is concealed therein. Hence, verified on this 19 day of
2016 at Gwalior.

कमलेश सिंह कौरव
DEPONENT

कमलेश सिंह कौरव

Identified by me.

(checked by me)
Adm.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

WRIT PETITION NO. /2016 (PIL)
PETITIONER: Kamlesh Singh Kaurav
Vs.
RESPONDENTS: State of Madhya Pradesh & Ors.

LIST OF DOCUMENTS

S.No.	Description	Annexure No.	Page No.
1.	Copy of certificate	P-1	
2.	Copy of order dated 30.3.2009	P-2	
3.	Copy of bank statement	P-3	
4.	Copy of representation	P-4	
5.	Copy of representation	P-5	
6.	Copy of representation	P-6	
7.	Copy of representation	P-7	
8.	Copy of complaint	P-8	
9.	Copy of forwarding letter	P-9	

Date: 19/01/2016

Humble petitioner
Through counsel,

(Vivek Jain)
Advocate

जति
श्री कमलेश सिंह कौरव
पूर्व संपन्न ग्राम संचायक
दन्दीशवा
ग्राम - चिरौली
जिला - भोस (मंड.)

विषय :- शास. माध्य. विद्या. ग्राम - चिरौली के
संचालन के सम्बन्ध में।

उक्त विषय में निवेदन है कि शास. मा. विद्या. चिरौली में वर्ष 2003-04 से स्वीकृत एवं संचालित है। वर्तमान में शा. मा. विद्या. चिरौली का शासन द्वारा विभिन्न ज. होने के कारण शा. कर्मियों को विद्या. चिरौली में लगाई जा रही है।

J. Prasad

Head Master

Govt. A. (H. S.)
Madhya Pradesh (M.P.)True copy
Vivek Jain

R. 2/2/19

समस्त नगर निगम - निगम (4051)

घर

राजस्व आदेश प्रवृत्ति पर
मामला क्रमांक: 09/8-09/2053

30.9.09

प्रकरण आमतोप न्यायालय अनु-
विभागीय अधिकारी मेहगांव की ओर से
सप्रतिवेदन प्राप्त। प्रस्तावित प्रतिवेदन
का अवलोकन किया गया।
2- अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार
मेहगांव द्वारा ग्राम विरोल में स्थित काठ
भूमि द्वारा क्रमांक 182 रकबा 0.40 हे
नो ईमान नसिबान को नवीन माला भवन हेतु
हस्तांतरण करने का प्रस्ताव प्रस्तावित
किया गया है।
3- प्रकरण में उद्घोषणा जारी की गई
है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
4- प्रकरण में संलग्न नकल उसरा पंचायत
संबंध 2061 लगायत 2063 के अवलोकन से
यह स्पष्ट परिलक्षित होता है, कि प्रति-
वेदित भूमि पर किसी प्रकार का कूट /
अतिक्रमण की प्रविष्टि होना नहीं पाई
जाती।
5- ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रस्तावित
भूमि ग्रामा मध्य के निवास हेतु संकल्प क्रमांक
09 दिनांक 27.1.00 के संलग्न की गई है।
6- अतः भूमि द्वारा क्रमांक 182 रकबा
0.40 हे नो ईमान नसिबान से मध्य भू-
राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1)
के अंतर्गत आबादी घोषित किया जाता है।
संहिता की धारा 237(1) के अंतर्गत उपलब्ध

सर्वे नम्बरान की भूमि 0.10 हेक्टर आबादी
को नवीन माला भवन विरोल से मिले -
आरक्षित किया जाता है। तदनुसार राजस्व
रिकार्ड अपडेट करने हेतु आदेश की
प्रति तहसीलदार मेहगांव की ओर भेजी
जावे।
7- प्रकरण की प्रकृति में अति होकर
बादपूर्ण कार्यवाही अंक से कम कर दायर
करे।

तहसीलदार
जिला-मिर्जापुर

पु050/सु/री.ओ/09 3859

मिर्जापुर, दिनांक-8.9.09

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार, मेहगांव की ओर राजस्व रिकार्ड अपडेट कराया
जाकर, की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन तत्काल भिजवाना
होना।

डिप्टी कमिश्नर
वास्ते कमिश्नर जिला मिर्जापुर
मि0908

फाईल नम्बर 17-09-09

800
16/09/09

मिर्जापुर/दिनांक 10/9

संलिपि -
पंचायत समिति का निवेदन की ओर भेज पंजेस
है कि इस नकल का उपयोग न करना।
नो सौदागर कर्मक रुका नाला।
नो जवाब नो सुनो नो नाला।

मामला क्रमांक-492-12-09-2053-2,00,000 रु।

तहसीलदार
मिर्जापुर

ANNEXURE - 1/3


12

Account Number: 32405273886
Customer Name: SHALA NIRMAL SAMITI GOVT. MIDDLE SCH
Transaction Selection Criteria(s):
From Date: To/Up till This Date:
Amount > or = : Amount < or = :
Dr./Cr. Summations: N/No Transaction Type: 98-All Financial Tran
Details of Dr./Cr. Summations: N/No Next Transaction Number:

S.No.	Type	Post-Dt	Jrnl.No.	Value-Dt	Trxn-Amount	Curr-Balance	Chq-Nc
1	1	30/06/14	958718554	30/06/14	418.00 CR	329872.00 CR	CREDIT INTEREST
2	1	31/12/13	951800360	31/12/13	463.00 CR	323456.00 CR	CREDIT INTEREST
3	1	30/06/13	960372484	30/06/13	467.00 CR	317863.00 CR	CREDIT INTEREST
4	1	31/12/12	972868450	31/12/12	1596.00 CR	310836.00 CR	CREDIT INTEREST
5	1	06/11/12	38680368	06/11/12	30900.00 CR	309000.00 CR	BULK POSTING

END OF TXN

उक्त निवेदन 30.06.14 को जारी किया गया है



मेरा साथ है

True copy
le
Vivek Jain

True copy
le
Vivek Jain

ग्राम पंचायत दंदरौआ

वि. खं. मेंहगांव, जिला मिण्ड (म.प्र.)

कमलेशसिंह कौरव

सरपंच



निवास : विरौल

कार्यालय :-

ग्राम स्वराज भवन, दंदरौआ

मोबा. :- 9826212171

दिनांक 2-4-13

प्रति,

श्रीमान

रमेश चंद्र शर्मा

महोदय

विषय:-

महोदय,

ग्राम पंचायत दंदरौआ के ग्राम विरौल में प्रस्तावित शा0 मा0 शाला भवन की जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा आम रास्ता अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही वावत।

निवेदन है कि ग्राम पंचायत दंदरौआ के ग्राम विरौल में शा0 मा0 शाला भवन की जगह है उक्त जगह पर विद्यालय का निर्माण करना है। शासन से निर्माण हेतु राशि भी प्राप्त हो चुकी है।

उक्त शासकीय मा0 शाला की जगह पर अनावेदकगण विशम्भर सिंह, कैलाश सिंह पुत्रगण अनंत राम सिंह, देवेन्द्र सिंह, लालू पुत्रगण जगन्नाथ सिंह द्वारा कण्डे इक्के लगाकर और छतरी बना ली है। जाबकि श्रीमान कलेक्टर महोदय भवदय के प्रकरण क्रमांक 02/09/10 अ 59 आदेश दिनांक 19/04/12 को शासकीय शाला भवन निर्माण हेतु जगह आरक्षित की थी जिसके आदेश की फोटो कॉपी प्रति प्रमाण के तौर पर संलग्न है। तथा तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 22/05/11 को थाना प्रभारी मो को निर्देशित कर उक्त जगह पर कोई निर्माण कार्य न करने तथा उक्त जगह को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु लिखा था। जिसके आदेश की भी फोटो कॉपी संलग्न है।

इस प्रकार शा0 मा0 विद्यालय भवन की राशि पंचायत निधि में होने के बावजूद भी अनावेदक गण उक्त जगह से कण्डे और छतरी नहीं हटा रहे हैं। शा0 शाला का निर्माण अतिशिर्ष कराराया जाना ही तथा उक्त जगह पर अनावेदकगण का अतिक्रमण एवं आम रास्ता विरौल से मंडरौली पर रास्ता अवरुद्ध मिट्टी डालकर पानी रोक दिया गया है। जिसे अति शीघ्र हटाया जा कर अनावेदक गणों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी मो एवं बरिस्ट अधिकारी को लिखा जाना नियाय संगत है।

अतः श्रीमानाजी से निवेदन है कि ग्राम विरौल में शा0 मा0 वि0 शाला के जगह से अवैध अतिक्रमण के कण्डे एवं छतरी तथा ग्राम विरौल से मंडरौली के आम रास्ता का अवरोध हटाए जाने हेतु थाना प्रभारी मो एवं बरिस्ट अधिकारी को निर्देशित कर अनावेदकगणों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

कमलेश सिंह

प्रार्थी

कमलेश सिंह कौरव

True Copy
Vivek

ग्राम पंचायत दंदरौआ

वि. खं. मेंहगांव, जिला मिण्ड (म.प्र.)

(15)

कमलेशसिंह कौरव

सरपंच



निवास : विरौल

कार्यालय :-

ग्राम स्वराज भवन, दंदरौआ

मोबा. :- 9826212171

जन संलग्न दिनांक.....

1. संलग्न दिनांक का नाम.....

2. कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक का नाम.....

तत्काल कार्यवाही कर की अंतर्गत कार्यवाही.....

इस कार्यवाही को..... करवा

3. कार्यवाही की जगह.....

दिनांक 18/6/13

प्रति,

श्रीमान

कलेक्टर महोदय

जिला मिण्ड

विषय:-

महोदय,

ग्राम पंचायत दंदरौआ के ग्राम विरौल में प्रस्तावित शा0 मा0 शाला भवन की जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा आम रास्ता अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही वावत।

निवेदन है कि ग्राम पंचायत दंदरौआ के ग्राम विरौल में शा0 मा0 शाला भवन की जगह है उक्त जगह पर विद्यालय का निर्माण करना है। शासन से निर्माण हेतु राशि भी प्राप्त हो चुकी है।

उक्त शासकीय मा0 शाला की जगह पर अनावेदकगण विशम्भर सिंह, कैलाश सिंह पुत्रगण अनंत राम सिंह, देवेन्द्र सिंह, लालू पुत्रगण जगन्नाथ सिंह द्वारा कण्डे इक्के लगाकर और छतरी बना ली है। जाबकि श्रीमान कलेक्टर महोदय भवदय के प्रकरण क्रमांक 02/09/10 अ 59 आदेश दिनांक 19/04/12 को शासकीय शाला भवन निर्माण हेतु जगह आरक्षित की थी जिसके आदेश की फोटो कॉपी प्रति प्रमाण के तौर पर संलग्न है। तथा तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 22/05/11 को थाना प्रभारी मो को निर्देशित कर उक्त जगह पर कोई निर्माण कार्य न करने तथा उक्त जगह को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु लिखा था। जिसके आदेश की भी फोटो कॉपी संलग्न है।

इस प्रकार शा0 मा0 विद्यालय भवन की राशि पंचायत निधि में होने के बावजूद भी अनावेदक गण उक्त जगह से कण्डे और छतरी नहीं हटा रहे हैं। शा0 शाला का निर्माण अतिशिर्ष कराराया जाना ही तथा उक्त जगह पर अनावेदकगण का अतिक्रमण एवं आम रास्ता विरौल से मंडरौली पर रास्ता अवरुद्ध मिट्टी डालकर पानी रोक दिया गया है। जिसे अति शीघ्र हटाया जा कर अनावेदक गणों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी मो एवं बरिस्ट अधिकारी को लिखा जाना नियाय संगत है।

अतः श्रीमानाजी से निवेदन है कि ग्राम विरौल में शा0 मा0 वि0 शाला के जगह से अवैध अतिक्रमण के कण्डे एवं छतरी तथा ग्राम विरौल से मंडरौली के आम रास्ता का अवरोध हटाए जाने हेतु थाना प्रभारी मो एवं बरिस्ट अधिकारी को निर्देशित कर अनावेदकगणों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।

कमलेश सिंह

प्रार्थी

कमलेश सिंह कौरव

True Copy
Vivek

पीजी विवरणी-जन पीजी निवारण विभाग

(16)

पीजी विवरणी

पीजी क्रमांक	PGR-10021368 दिनांक - 19/12/2015
विभाग का नाम	
शिकायतकर्ता का नाम	कमलेश सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह कौरव
पता	ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरीआ तहसील मेहमोव जिला भिंड मप्र
फ़ोन नंबर	9826212171
जिला	भिंड
पीजी का माध्यम	ऑनलाइन प्राप्त
पीजी का प्रारूप	
विषय	
पीजी का विवरण	<p>प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला भिंड मप्र विषय - 'ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरीआ जनपद मेहमोव जिला भिंड में स्वीकृत शासकीय माध्यमिक शाला भवन का वर्षों से रुका हुआ निर्माण कार्य जनहित एवं शासनहित में अविलम्ब प्रारम्भ कराकर भवन निर्माण कराये जाने बाबत संदर्भ- हम प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिये गये अनेकों आवेदन प महोदय, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में विनम्र निवेदन निम्नानुसार है 1. यह कि तत्कालीन जिलाधीश महोदय जिला भिंड द्वारा प्रकरण क्रमांक 02.09.10 अ 59 आदेश दिनांक 19.04.2012 द्वारा ग्राम की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 182.10 रकबा लगभग 10 विथा शासकीय माध्यमिक विधालय ग्राम चिरोल आरक्षित एवं आवंटित की गई है, तथा उक्त विध्यालय भवन निर्माण के लिये वर्ष 2007 में ही राशि आवंटित होकर विध्यालय पीटीए संघ के खाते में जमा हो गई थी लेकिन उक्त भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि आवंटित न होने की बजह से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था उक्त भूमि आवंटित होने के बाद वर्ष 2012 में उक्त भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करते हुये स्वीकृत राशि भी सरपंच ग्राम पंचायत दंदरीआ के खाते में जमा करा दी थी लेकिन आज दिनांक तक उक्त भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, तथा उक्त विधालय वर्तमान में शासकीय कन्या प्राथमिक विधालय चिरोल में संचालित किया जा रहा है जिससे विधालय की छात्रों को अत्यंत असुविधा हो रही है 2. यह कि उक्त स्वीकृत विधालय भवन का निर्माण आज दिनांक तक प्रारम्भ नहीं होने की बजह से भवन निर्माण हेतु आरक्षित उक्त शासकीय विधालय की भूमि पर ग्रामवासी अवैधानिक रूप से भवन निर्माण कर रहे हैं जो सर्वसाधारण जनहित में भवन निर्माण की से एक विनम्र</p>

निवेदन है कि जनहित एवं शासनहित में वर्षों पूर्व उक्त शासकीय माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराकर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की कृपा करें ताकि ग्राम की छात्रों को असुविधा से निजात मिल सके एवं छात्र छात्रों को शासकीय माध्यमिक शाला भवन उपलब्ध हो सके तथा शैक्षणिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलाई जा सकें दिनांक 17.12.2015 प्रार्थीगण कमलेश पुत्र श्री नवाबसिंह कौरव, प्रीतम सिंह, मयाराम सिंह, सुरेशसिंह पटेल, निरंजन खान, कैदार खान, एवं समस्त ग्राम वासी ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरीआ तहसील मेहमोव जिला भिंड मप्र प्रतिलिपि - 1 माननीय राज्यपाल महोदय मप्र शासन भोपाल 2 माननीय मुख्य मंत्री महोदय मप्र शासन भोपाल 3 माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मप्र शासन भोपाल 4 श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य मानव अधिकार आयोग मप्र शासन भोपाल 5 श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मप्र शासन भोपाल 6 श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मप्र शासन भोपाल 7 श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय शिक्षा विभाग मप्र शासन भोपाल 8 श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर 9 श्रीमान सी.ई.ओ. महोदय जिला पंचायत भिंड 10 श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला भिंड मप्र उपरोक्त सभी की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त जनहित एवं शासनहित के आवेदन पृ पर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें प्रार्थीगण

निराकरण	से निराकरण प्राप्त नहीं हुआ
पीजी की स्थिति	शिकायत दर्ज कर दी गयी है
Attach Document	
प्रिंट पावती	

Powered by Surevin

True copy
Viv 01/1/2016

पीजी की स्थिति

पीजी क्रमांक 10024390

कोडे


पीजी का विवरण

पीजी विवरणी-जन पीजी निवारण विभाग

पीजी विवरणी

पीजी क्रमांक	PGR-10024390 दिनांक - 05/01/2016
विभाग का नाम	
शिकायतकर्ता का नाम	कमलेश सिंह कौरव
पता	एवं समस्त ग्राम वासी ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरौआ तहसील मेहगांव जिला भिंड मप्र
फोन नंबर	9826212171
जिला	भिंड
पीजी का माध्यम	ऑनलाइन प्राप्त
पीजी का प्रारूप	
विषय	प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला भिंड मप्र विषय - 'ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरौआ जनपद मेहगांव जिला भिंड में स्वीकृत शासकीय माध्यमिक शाला भवन का वर्षों से रुका हुआ निर्माण कार्य जनहित एवं शासनहित में अविलम्ब प्रारम्भ करवाकर भवन निर्माण कराये जाने बाबत संदर्भ- हम प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिये गये अनेकों आवेदन प= पी.जी.आर. आवेदन क्रमांक 10021368.15 एवं जनसुनवाई आवेदन दिनांक 22.12.2015 महोदय, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में विनम्र निवेदन निम्नानुसार है 1. यह कि तत्कालीन जिलाधीश महोदय जिला भिंड द्वारा प्रकरण क्रमांक 02.09.10 अ 59 आदेश दिनांक 19.04.2012 द्वारा ग्राम की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 182.10 रकबा लगभग 10 विघा शासकीय माध्यमिक विधालय ग्राम चिरोल आरक्षित एवं आवंटित की गई है, तथा उक्त विध्यालय भवन निर्माण के लिये वर्ष 2007 में ही राशि आवंटित होकर विधायलय पीटीए संघ के खाते में जमा हो गई थी लेकिन उक्त भवन निर्माण हेतु

पीजी का विवरण

निराकरण	से निराकरण प्राप्त नहीं हुआ
पीजी की स्थिति	शिकायत दर्ज कर दी गयी है
Attach Document	
प्रिंट पावती	

शासकीय भूमि आवंटित ना होने की बजह से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था। उक्त भूमि आवंटित होने के बाद वर्ष 2012 में उक्त भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करते हुये स्वीकृत राशि भी सरपंच ग्राम पंचायत दंदरौआ के खाते में जमा करा दी थी लेकिन आज दिनांक तक उक्त भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, तथा उक्त विधालय वर्तमान में शासकीय कन्या प्राथमिक विधालय चिरोल में संचालित किया जा रहा है जिससे विधालय की छात्राओं को अत्यंत असुविधा हो रही है। यह कि उक्त स्वीकृत विधालय भवन का निर्माण आज दिनांक तक प्रारम्भ नहीं होने की बजह से भवन निर्माण हेतु आरक्षित उक्त शासकीय विधालय की भूमि पर ग्रामवासी अवैधानिक रूप से अतिक्रमन करने लगे है जो सर्वथा अनुचित है अतः श्रीमान जी से पुनः विनम्र निवेदन है कि जनहित एवं शासनहित में पूर्ण पूर्व उक्त शासकीय माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करवाकर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की कृपा करें ताकि ग्राम की छात्राओं को असुविधा से निजात मिल सकें एवं छात्राओं को शासकीय माध्यमिक शाला भवन उपलब्ध हो सके तथा शैक्षणिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलाई जा सकें। उक्त जनहित के मामले में यदि अविलम्ब न्याय प्रदान नहीं किया गया तो हम प्रार्थीगण को मजबूरन माननीय न्यायालय की शरण लेना पड़ेगी जिसकी समस्त जबाबदारी शासन प्रशासन की होगी दिनांक 05.01.2016 प्रार्थीगण कमलेश पु. श्री नवावसिंह कौरव, प्रीतम सिंह, माथाराम सिंह, सुरेशसिंह पटेल, निरंजन खान, केदार खान, एवं समस्त ग्राम वासी ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरौआ तहसील मेहगांव जिला भिंड मप्र मो. 9826212171 प्रतिलिपि - 1 माननीय राज्यपाल महोदय मप्र शासन भोपाल 2 माननीय मुख्य मंत्री महोदय मप्र शासन भोपाल 3 माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मप्र शासन भोपाल 4 श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य मानव अधिकार आयोग मप्र शासन भोपाल 5 श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मप्र शासन भोपाल 6 श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मप्र शासन भोपाल 7 श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय शिक्षा विभाग मप्र शासन भोपाल 8 श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर 9 श्रीमान सी.ई.ओ. महोदय जिला पंचायत भिंड 10 श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला भिंड मप्र उपरोक्त सभी की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त जनहित एवं शासनहित के आवेदन पृ पर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें प्रार्थीगण

प्रति

श्रीमान जिलाधीश महोदय
जिला भिंड मप्र

विषय :- ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंडरीआ तहसील मेहगांव जिला भिंड में स्वीकृत शासकीय माध्यमिक शाला भवन का वर्षों से रुका हुआ निर्माण कार्य जनहित एवं शासनहित में अविरोध प्रारम्भ करवाकर भवन निर्माण कराये जाने कावत

संदर्भ-हम प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिने मये अनेकों आवेदन प

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में विनम्र निवेदन निम्नानुसार है

1. यह कि तत्कालीन जिलाधीश महोदय जिला भिंड द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/09/10 अ 59 आदेश दिनांक 10/04/2012 द्वारा ग्राम की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 182/10 रकबा लगभग 10 दिशवा शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम चिरोल आरक्षित एवं आवंटित की गई है, तथा उक्त विद्यालय भवन निर्माण के लिये वर्ष 2007 में ही राशि आवंटित होकर विद्यालय पीटीए संघ के खाते में जमा हो गई थी लेकिन उक्त भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि आवंटित ना होने की वजह से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था। उक्त भूमि आवंटित होने के बाद वर्ष 2012 में उक्त भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करते हुये स्वीकृत राशि भी सरपंच ग्राम पंचायत दंडरीआ के खाते में जमा करा दी थी लेकिन आज दिनांक तक उक्त भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, तथा उक्त विद्यालय वर्तमान में शासकीय कच्चा प्राथमिक विद्यालय चिरोल में संचालित किया जा रहा है जिससे विद्यालय की छात्राओं को अत्यंत असुविधा हो रही है।

2. यह कि उक्त स्वीकृत विद्यालय भवन का निर्माण आज दिनांक तक प्रारम्भ नहीं होने की वजह से भवन निर्माण हेतु आरक्षित उक्त शासकीय विद्यालय की भूमि पर ग्रामवासी अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करने लगे हैं जो सर्वथा अनुचित है।

अतः श्रीमान जी से पुनः विनम्र निवेदन है कि जनहित एवं शासनहित में वर्ष पूर्व उक्त शासकीय माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य अविरोध प्रारम्भ कराकर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की कृपा करें ताकि ग्राम की छात्राओं को असुविधा से निजात मिल सकें एवं छात्राओं को शासकीय माध्यमिक शाला भवन उपलब्ध हो सके तथा सैद्धांतिक नतिविधियाँ सुचारु रूप से चलाई जा सकें।

दिनांक 22/12/2015

कमलेश सिंह कौरव
प्रार्थीगण

कमलेश पु० श्री नवावसिंह कौरव , प्रीतम सिंह ,
मायाराम सिंह , सुरेशसिंह पटेल , निरंजन खान ,
केदार खान , एवं समस्त ग्राम वासी ग्राम चिरोल
ग्राम पंचायत दंडरीआ तहसील मेहगांव जिला भिंड
मप्र

प्रतिलिपि :-

- 1 माननीय राज्यपाल महोदय मप्र शासन भोपाल
- 2 माननीय मुख्य मंत्री महोदय मप्र शासन भोपाल
- 3 माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मप्र शासन भोपाल
- 4 श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य मानव अधिकार आयोग मप्र शासन भोपाल
- 5 श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मप्र शासन भोपाल
- 6 श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मप्र शासन भोपाल
- 7 श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय शिक्षा विभाग मप्र शासन भोपाल
- 8 श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर
- 9 श्रीमान सी.ई.ओ. महोदय जिला पंचायत भिंड
- 10 श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला भिंड मप्र

उपरोक्त सभी की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त जनहित एवं शासनहित के आवेदन पृ पर अविरोध कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण

कमलेश सिंह कौरव

कमलेश सिंह कौरव
मिस्टर...02

True copy
22/12/2015

प्रति,
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मिण्ड, (मोप्रो)

कमलेश सिंह कौरव पुत्र श्री नवाय सिंह कौरव आदि
निवासीगण ग्राम विरोल ग्राम पंचायत दंदरीआ तहसील मेहसाणा जिला मिण्ड

विषय- त्वरित कार्यवाही बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक-क्यू/जनसुनवाई/कले
/2015/42206 मिण्ड, दिनांक 22/12/2015 से विभाग प्रमुख को प्रेषित किया गया है। यदि विषयांकित
आवेदन में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में किसी सक्षम न्यायालय में पृथक् से कोई प्रकरण दर्ज नहीं हो तो
ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सम्बंधित विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही उपरान्त उत्तर जनसुनवाई
ऑनलाइन पर अंकित किया जावेगा। सम्बंधित कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्त आवेदन
पर 10 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 10
दिवस पश्चात्, आवेदन सम्बंधित विभाग प्रमुख से शुक्रवार को उनके कार्यालय में दोपहर 3 बजे से 5 बजे
तक सम्पर्क कर कृत कार्यवाही ज्ञात कर सकेंगे, अथवा वेबसाइट www.bhind.nic.in पर भी कार्यवाही
का विवरण स्वतः ज्ञात किया जा सकता है।

विभाग प्रमुख : डी.पी.सी.मिण्ड

उत्तराधिकारी/मिण्ड

True Copy
12
Vivakes

कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग)

बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/2016/1994

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं0 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन तथा म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं0एफ-16/517/97/वि0प्र0/20, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रहेगा।

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अयोधित करें।

(दीप्ति गौड़ मुकजी)

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

पृष्ठं.कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया./2016/1995

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. अति. महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सूचनार्थ।
4. जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड की ओर पालनार्थ। कृपया नियत समय में जवाबदावा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत करायें।
5. जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश

0/12